:: औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा ::

पीठासीन अधिकारीः **पंकज बंसल,आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

प्रकरण संख्या : 74 सन् 2017 एल सी आर

श्री चतर सिंह पुत्र श्री विजयसिंह,उम्र–43 वर्ष ,निवासी–बालकनाथ का खेडा,तहसील–भदेसर, जिला–चितौडगढ़(राज0)।

..प्रार्थी

: बनाम :

01. हिन्दुस्तान जिंक जरिये प्रबंधक महोदय हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, चन्देरिया, तहसील व जिला– चितौडगढ़(राज0)।
02. क्लासिक हॉस्पीटलीटी सर्विस जरिये एच.आर.ऑफिसर क्लासिक हॉस्पीटलीटी, 31 बसंत विहार गोवर्धन विलास ,उदयपुर(राज0)।

..विपक्षीगण

उपस्थित :

1. श्रीमती वंदना चौखड़ा , अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री एल.एल. पोखरणा, अधिवक्ता–विपक्षी संख्या 01 की ओर से।
3. श्री पवन व्यास, निखिल काबरा, अधिवक्तागण–विपक्षी संख्या 02 की ओर से।

:: पंचाट :: दिनांक : 21.07.2026

1. प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध सेवा पृथककरण बाबत अपना विवाद समझौता अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष पेश किया, जहां विपक्षीगण के उपस्थित नही होने के कारण 45 दिन की समयावधि में कोई समझौता नहीं होने के कारण प्रार्थी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे पंचाट में आगे अधि0 1947 से सम्बोधित किया जायेगा) की धारा 2 (ए) के तहत यह विवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया।
2. प्रार्थी की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी विगत 10 वर्षों से विपक्षी संख्या 01 के यहां जिंक गेस्ट हाउस में स्टेवर्ड (वेटर) के पद पर नियोजित था तथा प्रार्थी को विपक्षी संख्या 01 के द्वारा 350/–रूपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाता था जिससे उसका मासिक वेतन उसे 7,800/–रूपये प्राप्त होता था तथा

विपक्षी संख्या 01 द्वारा ही प्रार्थी को विपक्षी संख्या–02 के यहां कार्य पर लगाया गया था तथा प्रार्थी ने अपनी सेवा अवधि के दौरान अतिरिक्त रूप से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी ली है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नियोजन में पूर्ण ईमानदारी,निष्ठा एवं सर्मपण से अपने कार्य को सम्पादित किया तथा नियोजन के दौरान प्रार्थी द्वारा 240 दिन से अधिक विपक्षीगण के यहां कार्य किया है एवं प्रार्थी को अनेक बार उसकी प्रशासनिक सेवाओं के बदले विपक्षीगण के द्वारा तरह तरह के अवार्ड व रिवार्ड दिये गये है परंतु दिनांक 22.03.2017 को बिना कोई पूर्व सूचना दिये विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को सेवा से पृथक करने के आदेश दे दिये तथा विपक्षीगण द्वारा बिना पूर्व सूचना के प्रार्थी की सेवाऐं समाप्त कर देने से विपक्षीगण ने श्रम कानूनों की अवहेलना की है। प्रार्थी ने सदैव श्रेष्ठतम सेवाएं विपक्षीगण के यहां दी है और प्रार्थी को अभी तक कोई नियोजन नही मिल पाया है। अतः प्रार्थी ने दिनांक 22.03.2017 से अपने पूर्व पद स्टेवर्ड (वेटर) पर पुनर्नियोजित करने एवं समस्त वेतन परिलाभों सहित पुनः सेवा में नियोजित करवाने की प्रार्थना की।

3. विपक्षी सं0 एक की ओर से क्लेम प्रार्थनापत्र का जवाब पेश कर प्रार्थी के कथनों से इंकार करते हुए जाहिर किया गया कि प्रार्थी को उनके द्वारा नियुक्त नहीं किया गया एवं न ही प्रार्थी को कार्य हेतु विपक्षी संख्या 01 द्वारा निर्देशित किया जाता था तथा वह उनका कार्मिक नहीं है। प्रार्थी विपक्षी संख्या 02 का कार्मिक था तथा विपक्षी संख्या 01 के यहां विपक्षी संख्या 02 द्वारा आवश्यकता के अनुसार कार्य करता था। विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी को न तो कोई वेतन दिया जाता था तथा न ही को कोई कार्यादेश दिया जाता था एवं प्रार्थी द्वारा स्वयं ही उसके क्लेम में विपक्षी संख्या 02 का कार्मिक होने का अंकन किया गया है। प्रार्थी श्रम कानूनों का कोई संरक्षण प्राप्त करने की अधिकारी नही है, अतः क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई।

4. विपक्षी संख्या 02 की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इंकार करते हुए जवाब पेश कर जाहिर किया गया कि प्रार्थी को बिना कोई

पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक नही किया गया था क्योंकि प्रार्थी को सेवा से पृथक करने का कोई आदेश विपक्षी संख्या 02 द्वारा दिया ही नही गया था बल्कि प्रार्थी की अन्य कार्यस्थल उदयपुर में आवश्यकता होने के कारण प्रार्थी का सिर्फ स्थानान्तरण किया गया था जिसकी सूचना प्रार्थी को दिनांक 12.03.2017 के ट्रांसफर आर्डर द्वारा दी गई जिसमें यह दर्शाया गया कि प्रार्थी दिनांक 14.03.2017 को उदयपुर स्थित आफिस में रिपोर्ट करे परंतु प्रार्थी ने आर्डर लेने से साफ तौर पर इंकार कर दिया जिसके बाद विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी को जरिये ई–मेल भी सूचित किया गया लेकिन प्रार्थी ने उसकी पालना भी नही की और कहा कि मै काम करूंगा तो यही करूंगा, अन्य साईट पर नही, ऐसा कहकर प्रार्थी कार्यस्थल छोडकर चला गया और उसके पश्चात बिना कोई पूर्व सूचना के प्रार्थी ने काम पर आना बंद कर दिया। विपक्षी द्वारा प्रार्थी को वेतन 7800/–रूपये प्रतिमाह मिलने के कथन का खंडन कर प्रतिमाह 9100/–रूपये वेतन मिलना कहा है। विपक्षी संख्या 02 का यह भी कहना है कि प्रार्थी ने स्वेच्छा से कार्य पर आना बंद किया है, विपक्षी संख्या 02 ने उसे सेवा से पृथक नही किया है तथा समझौता अधिकारी के यहां हुई कार्यवाही के संबंध में भी विपक्षी संख्या 02 को कोई जानकारी नही होने से वह वहां उपस्थित नही हो सका। अतः क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई।

5. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में ए ड 1 श्री चतर सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये एवं दस्तावेजात प्रदर्श–01–विपक्षी संख्या 02 द्वारा 25.11.2012 को जारी कार्यालय आदेश, प्रदर्श–02 हिन्दुस्तान जिंक लि0 की ओर से प्रार्थी को जारी प्रमाण पत्र, प्रदर्श–03 प्रार्थी को विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारी परिचय पत्र, प्रदर्श–04–विपक्षी संख्या 01 द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रदर्श–05 कापरी हास्पीटीलीटी सर्विसेज द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रदर्श–06 प्रार्थी का मेडिकल, प्रदर्श–07 समझौता अधिकारी द्वारा प्रार्थी की शिकायत का समझौता नही होने के आधार पर की गई कार्यवाही, प्रदर्श–08 प्रार्थी द्वारा उप श्रम आयुक्त को प्रस्तुत शिकायत एवं प्रदर्श–09 विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्शित

करवाये।

6. विपक्षी संख्या 01 की ओर से एन.ए.डब्ल्यू.–01 श्याम सुंदर सोनी तथा विपक्षी संख्या 02 की ओर से एन.ए.डब्ल्यू.–02 दुर्गावतसिंह चंद्रावत के बयान लेखबद्ध किये गये एवं प्रदर्श–एम 01 प्रार्थी के स्थानान्तरण आदेश की ई–मेल द्वारा सूचना, प्रदर्श–एम–02 प्रार्थी का एम्पलोई रजिस्ट्रेशन फार्म एवं प्रदर्श–एम–03 प्रार्थी का सर्विस आर्डर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के यहां स्टेवर्ड (वेटर) के पद पर दस वर्ष तक पूर्ण निष्ठा,लगन व ईमानदारी से अपनी नियमित एवं निरंतर सेवाऐं दी हैं लेकिन दिनांक 22.03.2017 को विपक्षी ने प्रार्थी को अवैध रूप से हटा कर प्रार्थी की सेवाएं समाप्त कर दी जबकि प्रार्थी ने प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक दिवस तक डयुटी दी है जिस कारण बिना नोटिस दिये, बिना कारण बताये, बिना कोई जांच कार्यवाही किये प्रार्थी की सेवाएं समाप्त करना औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उनका यह भी तर्क है कि स्वयं विपक्षी ने अपने जवाब में प्रार्थी के अपने यहां काम करने से इंकार नही किया है व प्रार्थी ने नियमानुसार समझौता अधिकारी के समक्ष कार्यवाही भी की परंतु वहां भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ जिस पर यह क्लेम पेश किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी सेवा से पृथक किये जाने के समय से ही बेरोजगार है एवं प्रार्थी की सेवामुक्ति, अवैध सेवामुक्ति की श्रेणी में आने के कारण प्रार्थी को सेवापृथक दिनांक से पुनः पूर्व पद पर समस्त वेतन परिलाभों सहित पुनर्नियोजित करने की प्रार्थना की।

9. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 ने इन तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 01 द्वारा कोई नियुक्ति नहीं दी गई थी ना ही कोई नियुक्ति पत्र दिया गया एवं प्रार्थी विपक्षी संख्या 02 ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्यरत

था एवं ऐजेन्सी द्वारा ही प्रार्थी की डयुटी लगायी जाती थी और ऐजेन्सी द्वारा ही प्रार्थी को वेतन का भुगतान किया जाता था एवं प्रार्थी विपक्षी संख्या 02 के नियंत्रण मे ही कार्य करता था। उनका यह भी तर्क है कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी का स्थानान्तरण उदयपुर किया गया था जिस बाबत आदेश जारी होने पर प्रार्थी द्वारा आदेश लेने से इंकार किया गया एवं प्रार्थी को ई–मेल के जरिये भी ट्रांसफर आदेश भेजा गया था परंतु प्रार्थी द्वारा उदयपुर ऑफिस में डयुटी ज्वाईन नही की और स्वयं अनुपस्थित हो गया जिस कारण प्रार्थी कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 02 द्वारा स्थानान्तरण के बावजूद डयुटी ज्वाईन नही की जबकि प्रार्थी द्वारा कार्य हेतु जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया था उसमें कर्मचारी को किसी भी दुसरी साईड पर स्थानान्तरण करने का विपक्षी संख्या 0 को अधिकार था जिस पर प्रार्थी के भी हस्ताक्षर है जो विपक्षी संख्या 02 द्वारा पेश किया गया है परंतु प्रार्थी द्वारा ट्रांसफर के बावजूद कार्य पर उपस्थित नही होना प्रार्थी का स्वेच्छिक रूप से कार्य छोडना दर्शित करता है जिस कारण प्रार्थी अधिनियम का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 के यहां किसी कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य नही किया एवं संविदा पर होने के कारण उसको धारा 25 बी औद्योगिक विवाद अधिनियम का संरक्षण प्राप्त नही है और प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 के मध्य कभी भी नियोजक एवं श्रमिक का संबंध नही रहा है ना ही प्रार्थी को विभाग द्वारा कोई पारिश्रमिक या वेतन दिया गया है ना ही प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 द्वारा जारी कोई नियुक्ति पत्र पेश किया है। अतः उक्त आधार पर उन्होंने क्लेम खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

10. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 ने प्रार्थी के तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी का स्थानान्तरण उदयपुर किया गया था जिस बाबत आदेश जारी होने पर प्रार्थी द्वारा आदेश लेने से इंकार किया गया एवं प्रार्थी को ई–मेल के जरिये भी ट्रांसफर आदेश भेजा गया था परंतु प्रार्थी द्वारा उदयपुर ऑफिस में

डयुटी ज्वाईन नही की और स्वयं अनुपस्थित हो गया जिस कारण प्रार्थी कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 02 द्वारा स्थानान्तरण के बावजूद डयुटी ज्वाईन नही की जबकि प्रार्थी द्वारा कार्य हेतु जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया था उसमें कर्मचारी को किसी भी दुसरी साईड पर स्थानान्तरण करने का विपक्षी संख्या 02 को अधिकार था जिस पर प्रार्थी के भी हस्ताक्षर है जो विपक्षी संख्या 02 द्वारा पेश किया गया है परंतु प्रार्थी द्वारा ट्रांसफर के बावजूद कार्य पर उपस्थित नही होना प्रार्थी का स्वेच्छिक रूप से कार्य छोडना दर्शित करता है जिस कारण प्रार्थी अधिनियम का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 02 के यहां किसी कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य नही किया एवं संविदा पर होने के कारण उसको धारा 25 बी औद्योगिक विवाद अधिनियम का संरक्षण प्राप्त नही है और प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 के मध्य कभी भी नियोजक एवं श्रमिक का संबंध नही रहा है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी को उदयपुर कार्यालय में दिनांक 14.03.2017 को उपस्थिति देनी थी परंतु स्वयं प्रार्थी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 12.03.2017 के बाद मेरा कम्पनी में जाने का कोई काम नही पडा जिससे प्रार्थी का स्वेच्छिक रूप से काम पर आना बंद होना प्रमाणित है जबकि प्रार्थी ने ऐसा कोई आदेश प्रदर्शित नही कराया है जिसके द्वारा विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को कार्य से पृथक किया गया हो या निकाला गया हो। अतः उक्त आधार पर उन्होंने क्लेम खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

11. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत विधि का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। न्यायालय का को मुख्य रूप से निम्न बिन्दू पर विचार करना है :–

आया प्रार्थी को विपक्षीगण द्वारा अवैध तौर पर दिनांक 22.03.2017 को सेवा से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां तो प्रार्थी क्या राहत प्राप्त करने का अधिकारी है ?

12. उक्त बिन्दू को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि प्रार्थी व किस विपक्षी के मध्य श्रमिक नियोजक संबंध रहे हैं एवं प्रार्थी ने विपक्षीगण के नियोजन में एक वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया है।

13. इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी के यहां 10 वर्षो से विपक्षी संख्या 01 के यहां जिंक गेस्ट हाउस में वेटर के कार्य हेतु नियोजित होना एवं दिनांक 22.03.2017 को कार्य से विपक्षी संख्या 1 द्वारा निकाल देना अंकित किया है तथा इस संबंध में प्रार्थी ने बतौर गवाह ए.डब्ल्यू.–01 श्री चतर सिंह ने अपने साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में भी अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया है परंतु विपक्षी संख्या 01 की ओर से इस संबंध मे यह कहा गया है कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 02 के माध्यम से संविदा पर कार्यरत था एवं प्रार्थी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण विपक्षी संख्या 02 का था। इस संबंध में विपक्षी संख्या 02 द्वारा भी इस तथ्य से इंकार नही किया गया है कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 02 के यहां गेस्ट हाउस में कार्य करता था। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करे तो प्रार्थी की ओर से अपने समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये गये है उनमें प्रदर्श–01–विपक्षी संख्या 02 द्वारा 25.11.2012 को जारी कार्यालय आदेश है जिसमें दिनांक 01.12.2012 को हिंदूस्तान जिंक लि0 के चंदेरिया गेस्ट हाउस का कान्ट्रेक्ट खत्म होने के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण उदयपुर वेस्टर्न ड्रग्स साईट पर किये जाने का आदेश है जिससे भी यही जाहिर होता है कि प्रार्थी पर नियंत्रण विपक्षी संख्या 02 का था एवं प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 के गेस्ट हाउस में विपक्षी संख्या 02 के माध्यम से संविदा पर कार्यरत था। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–02 हिन्दुस्तान जिंक लि0 की ओर से प्रार्थी को जारी प्रमाण पत्र है जिसमें भी प्रार्थी द्वारा दो दिन की फर्स्ट एड ट्रेनिंग किये जाने का उल्लेख है परंतु उक्त दस्तावेज से भी यह जाहिर नही होता कि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 01 द्वारा नियुक्त किया गया हो। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–03 प्रार्थी को विपक्षी संख्या 02 द्वारा

जारी परिचय पत्र है एवं प्रदर्श–04–विपक्षी संख्या 01 द्वारा जारी प्रमाण पत्र है जिसमें प्रार्थी का गेस्ट हाउस मे वेटर के पद पर कार्यरत होना और हॉस्टल संख्या 05 में निवास करना अंकित है परंतु यह भी अंकित है कि उक्त प्रमाण पत्र गेस कनेक्शन लेने के लिये जारी किया गया है। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–05 भी कापरी हास्पीटीलीटी सर्विसेज द्वारा जारी प्रमाण पत्र है एवं प्रदर्श–06 प्रार्थी का मेडिकल है जो दिनांक 09.02.2017 का है जिसमें उसका फिट होना दर्शित होता है परंतु उक्त दस्तावेजों से यह जाहिर नही होता है कि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 01 द्वारा नियुक्त किया गया हो और विपक्षी संख्या 01 द्वारा उसे कोई नियुक्ति पत्र दिया गया हो अपितु स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–01 विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारी कार्यालय आदेश एवं प्रदर्श–03 विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी को जारी परिचय पत्र से भी यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 02 द्वारा नियोजित किया गया और वह विपक्षी संख्या 01 के गेस्ट हाउस में विपक्षी संख्या 02 के माध्यम से संविदा पर कार्यरत था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–07 समझौता अधिकारी द्वारा प्रार्थी की शिकायत का समझौता नही होने के आधार पर की गई कार्यवाही है एवं प्रदर्श–08 प्रार्थी द्वारा उप श्रम आयुक्त को प्रस्तुत शिकायत है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं प्रार्थी ने बतौर गवाह ए.डब्ल्यू.–01 चतर सिंह अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि मैने मेरा कोई नियुक्ति पत्र पेश नही किया है और मेरा साक्षात्कार विपक्षी संख्या 02 कान्ट्रेक्टर ने लिया था। प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि मुझे वेतन विपक्षी संख्या 02 ही देता था। प्रार्थी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट हो कि उसे कभी भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा वेतन दिया गया हो। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श–02 सेफ्टी ट्रेनिंग का दो दिन का प्रमाण पत्र है और प्रदर्श–04 हॉस्टल में रहने की स्वीकृति है और मैंने विपक्षी संख्या 01 व 02 के यहां नियुक्त होने के कोई दस्तावेज पेश नही किये है अर्थात स्वयं प्रार्थी की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी का विपक्षी संख्या 01

के यहां विपक्षी संख्या 02 के माध्यम से संविदा पर कार्यरत होना प्रमाणित है एवं प्रदर्श–01 से विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के गेस्ट हाउस का कान्ट्रेक्ट खत्म हो जाने पर प्रार्थी को 25.11.2012 को भी उदयपुर अन्य साईट पर स्थानान्तरित करना प्रमाणित होता है जिससे प्रार्थी का विपक्षी संख्या 02 के नियंत्रण में कार्य करना भी प्रमाणित होता है जिससे प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 के मध्य श्रमिक व नियोजक के संबंध प्रार्थी साबित कर पाने में असफल रहा है जिस कारण प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 से तो कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है परंतु प्रार्थी की साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श–01 व प्रदर्श–03 के अवलोकन से एवं स्वयं विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–एम–01 प्रार्थी के स्थानान्तरण आदेश की ई–मेल द्वारा सूचना एवं प्रार्थी का एम्पलोई रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्श–एम–02 एवं प्रदर्श–एम–03 प्रार्थी का सर्विस आर्डर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी को नियोजित किया गया था एवं प्रार्थी विपक्षी संख्या 02 के नियंत्रण में कार्य कर रहा था। यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2012 में विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रदर्श–01 के जरिये उदयपुर साईट पर किया गया जिससे यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी 2012 से पूर्व से विपक्षी संख्या 02 के नियंत्रण में कार्य कर रहा था एवं विपक्षी संख्या 02 की ओर से प्रार्थी को ऐसा कोई सुझाव भी नही दिया गया है कि प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 02 के यहां 10 वर्षो से कार्य करना प्रारंभ न कर अन्य अवधि से कार्य किया हो अपितु विपक्षी संख्या 02 के गवाह एन.ए. डब्ल्यू–02 दुर्गावतसिंह चंद्रावत ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी 2017 से पहले भी वेटर का काम कर रहा था एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–09 विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारी प्रमाण पत्र है जिसमें प्रार्थी द्वारा कम्पनी में दिनांक 01.06.2007 से 30. 06.2012 तक स्टेवर्ड (वेटर) के पद पर कार्य करने का स्वयं विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिससे भी प्रार्थी का विपक्षी संख्या 02 के यहां वर्ष 2007 से कार्य करना प्रमाणित है। विपक्षी संख्या 02 की ओर से प्रार्थी की जिरह में इस बारे में भी कोई

प्रश्न नही किया गया है कि उसने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य नही किया हो न ही विपक्षी संख्या 02 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है जिससे यह जाहिर हो कि प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में प्रार्थी की हाजरी 240 दिन से कम रही हो। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का विपक्षी संख्या 01 के यहां नियोजित होना एवं विपक्षी संख्या 01 से नियोजक एवं श्रमिक के संबंध होना तो प्रमाणित नही है परंतु प्रार्थी का विपक्षी संख्या 02 के यहां नियोजित होना एवं विपक्षी संख्या 02 व प्रार्थी के मध्य नियोजक एवं श्रमिक के संबंध होना एवं विपक्षी संख्या 02 द्वारा ही उसे वेतन देना व प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 02 के नियोजन मे एक वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया जाना प्रमाणित है।

14. अब जहां तक प्रार्थी को विपक्षी संख्या 02 द्वारा दिनांक 22.03.2017 को बिना कोई पूर्व सूचना दिये अवैध रूप से सेवा से पृथक करने एवं इस आधार पर प्रार्थी का विपक्षी संख्या 02 के यहां पुनःनियोजन मे लिये जाने का अधिकारी होने एवं अन्य लाभ प्राप्त करने का संबंध है, इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो प्रार्थी ने अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में एवं दौराने बहस यह कहा है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को बिना कोई पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक करने का आदेश दिनांक 22.03.2017 को दे दिया एवं प्रार्थी ने अपने मुख्य परीक्षण बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र में भी इस तथ्य को दोहराया है परंतु यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या विपक्षीगण द्वारा जारी आदेश प्रदर्शित नही कराया गया है जिसके द्वारा प्रार्थी को सेवा से पृथक किया गया हो। अपनी जिरह में भी प्रार्थी ने यह कहा है कि कम्पनी ने मुझे निकाला, इसका आदेश पत्रावली में है परंतु ऐसा कोई आदेश प्रदर्शित नही कराया गया है जबकि विपक्षीगण की ओर से मुख्य रूप से यह कहना रहा है कि प्रार्थी का स्थानान्तरण उदयपुर साईट पर किया गया था जिसका आदेश प्रार्थी ने लेने से इंकार कर दिया तो आदेश प्रार्थी को ई–मेल पर भेजा गया परंतु प्रार्थी ने उदयपुर साईट पर कार्य ज्वाईन नही किया और कार्य से अनुपस्थित हो गया। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करे

तो विपक्षीगण के गवाह एन.ए.डब्ल्यू.–02 दुर्गावतसिंह चंद्रावत ने भी अपने मुख्य परीक्षण बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र में कार्यस्थल उदयपुर में आवश्यकता होने पर प्रार्थी का स्थानान्तरण दिनांक 12.03.2017 के ट्रांसफर आर्डर द्वारा किया जाना और प्रार्थी को दिनांक 14.03.2017 को उदयपुर स्थित ऑफिस में रिपोर्ट करने को निर्देशित किया जाना परंतु प्रार्थी द्वारा आर्डर लेने से इंकार कर देने पर प्रार्थी को इस बाबत जरिये ई–मेल सूचना दिये जाना कहा है जिसके समर्थन में विपक्षी संख्या 02 की ओर से प्रार्थी के स्थानान्तरण के संबंध में दिनांक 20.03.2017 को जरिये ई–मेल सूचित करने के संबंध में प्रदर्श–एम–01 पेश किया गया है जिसके खण्डन में प्रार्थी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही की गई है जिससे यह जाहिर हो कि उक्त ई–मेल प्रार्थी को प्राप्त नही हुआ हो। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि स्वयं प्रार्थी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 12.03.2017 के बाद मेरा कम्पनी में जाने का कोई काम नही पड़ा जबकि ट्रांसफर आदेश 12.03.2017 का है तो इससे भी यह जाहिर होता है कि प्रार्थी का स्थानान्तरण उदयपुर साईट पर करने पर वह उपस्थित नही हुआ और उसके द्वारा उदयपुर साईट पर कार्यभार ग्रहण नही किया गया।

15. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि स्थानान्तरण पर नही जाने पर भी कार्य से निकालने का कोई अधिकार प्राप्त नही है परंतु इस संबंध में यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 02 की ओर से प्रार्थी द्वारा भरे गये एम्पलोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्श–एम–02 को पेश किया गया है जिसमें किसी भी कर्मचारी को किसी भी दूसरी साईट पर स्थानान्तरित किये जाने या कुछ समय के लिये भेजने का अधिकार कम्पनी को दिया गया है जिस पर स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर भी है। इसके अलावा स्वयं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–01 विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 25.11.2012 के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि पूर्व में भी विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी का स्थानान्तरण उदयपुर में वेस्टर्न ड्रग्स साईट पर किया गया था जिस समय कोई आपत्ति प्रार्थी द्वारा

की गई हो या ज्वाईन नही किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रार्थी ने पेश नही की है जिससे भी यह जाहिर होता है कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी का स्थानान्तरण करने का अधिकार विपक्षी संख्या 02 को प्राप्त था। स्वयं प्रार्थी की जिरह से भी यह स्पष्ट है कि स्वयं प्रार्थी ने अपने स्थानान्तरण आदेश की दिनांक 12.03.2017 के बाद काम पर जाने से इंकार किया है जिससे भी यह जाहिर होता है कि प्रार्थी को अपने स्थानान्तरण आदेश की जानकारी थी और स्थानान्तरण आदेश के पश्चात उसने कार्य पर जाना बंद कर दिया और उदयपुर साईट पर स्थानान्तरण आदेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्य ज्वाईन नही किया। इस संबधं मे विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी को स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर हटाया गया जबकि प्रदर्श–06 के अनुसार वह फिट था परंतु यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या नोटिस प्रदर्शित नही कराया गया है जिससे यह जाहिर हो कि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 02 द्वारा स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर सेवा से पृथक किया गया हो।

16. अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी द्वारा स्थानान्तरण होने पर आदेश की पालना में उदयपुर ज्वाईन नही किया गया एवं कार्य से अनुपस्थित हो गया जिससे प्रार्थी का स्वैच्छिक रूप से कार्य से अनुपस्थित होना प्रमाणित है जबकि प्रार्थी को विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से सेवा से पृथक किये जाने के संबंध में प्रार्थी तथ्य साबित कर पाने में असफल रहा है जिस कारण वह पुनःनियोजन प्राप्त करने का एवं अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है। अतः प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं प्रार्थी का क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

::आदेश::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी चतर सिंह पुत्र श्री विजयसिंह, उम्र–43 वर्ष, निवासी–बालकनाथ का खेडा, तहसील–भदेसर, जिला–चितौडगढ

.(राज0) एवं विपक्षी संख्या 1 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, चन्देरिया, तहसील व जिला– चितौडगढ़ के मध्य श्रमिक नियोजक के संबंध नहीं रहे हैं। प्रार्थी चतर सिंह एवं विपक्षी संख्या 2 के मध्य श्रमिक नियोजक के संबंध रहे हैं।

प्रार्थी चतर सिंह को विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से सेवामुक्त किये जाना प्रमाणित नही है जिस कारण प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

पंचाट की प्रति राज्य सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

(पंकज बंसल) .
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण .
एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा।

पंचाट आज दिनांक 21.07.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज बंसल) .
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण .
एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा।